पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-171
दिनांक 28.01.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-गोसाईगंज

- **जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **घायल व्यक्ति को मरा समझकर इन्द्रा नहर में फेंक दिया था।**
- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम को मात्र 24 घण्टे के अन्दर मिली सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 27.01.2026 को थाना क्षेत्र निवासी वादी सुनिल कुमार पुत्र मगंल द्वारा थाना गोसाईगंज पर तहरीर देकर अपने पुत्र रवि को विपक्षीगणों द्वारा जान से मारने की नीयत से चाकूओं से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 36/2026 धारा 109(1)/127(2)/118(1)/352 बीएनएस बनाम 1. बृजेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम देईटीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ 2.अजीत पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम चौरासी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ 3.राजेश पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सेमरापीतपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ 4.कुछ लोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन से पाया गया कि अभियुक्तो द्वारा पीडित के गले में व उसके आस-पास धारदार हथियार से कई वार किया गया और उसे मरा हुआ समझ कर वाहन सं0 UP32QS7757 में लादकर इन्द्रनहर के बहते पानी में फेंक दिया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।

दबिश के दौरान ही 24 घण्टे के अन्दर दिनांक 27/28.01.2026 को अभियुक्तगण 1. अजीत कुमार पुत्र बन्सीलाल निवासी ग्राम चौरासी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ 2. बृजेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरीश्चन्द्र निवासी ग्राम देईटीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ 3. रामसिंह पुत्र बच्चूलाल निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ 4. सौरभ वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ 5. विशाल यादव पुत्र रघुराज यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ 6. प्रशान्त यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ की गिरफ्तारी करते हुए घटना में प्रयुक्त Toyota Urban Cruiser Hyryder वाहन संख्या-UP32-QS-7757 की बरामदगी की गयी। तथा साक्ष्य के आधार पर मुकदमा में धारा 190/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

वादी सुनील कुमार के पुत्र रवि उपरोक्त ट्रॉमा सेन्टर पीजीआई में इलाजरत है।

02-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0-36/2026 धारा-109(1)/127(2)/118(1)/352/190/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस थाना गोसाईगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-171
दिनांक 28.01.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-गोसाईगंज

- **जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **घायल व्यक्ति को मरा समझकर इन्द्रा नहर में फेंक दिया था।**
- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम को मात्र 24 घण्टे के अन्दर मिली सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 27.01.2026 को थाना क्षेत्र निवासी वादी सुनिल कुमार पुत्र मगंल द्वारा थाना गोसाईगंज पर तहरीर देकर अपने पुत्र रवि को विपक्षीगणों द्वारा जान से मारने की नीयत से चाकूओं से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 36/2026 धारा 109(1)/127(2)/118(1)/352 बीएनएस बनाम 1. बृजेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम देईटीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ 2.अजीत पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम चौरासी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ 3.राजेश पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सेमरापीतपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ 4.कुछ लोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन से पाया गया कि अभियुक्तो द्वारा पीडित के गले में व उसके आस-पास धारदार हथियार से कई वार किया गया और उसे मरा हुआ समझ कर वाहन सं0 UP32QS7757 में लादकर इन्द्रनहर के बहते पानी में फेंक दिया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।

दबिश के दौरान ही 24 घण्टे के अन्दर दिनांक 27/28.01.2026 को अभियुक्तगण 1. अजीत कुमार पुत्र बन्सीलाल निवासी ग्राम चौरासी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ 2. बृजेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरीश्चन्द्र निवासी ग्राम देईटीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ 3. रामसिंह पुत्र बच्चूलाल निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ 4. सौरभ वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ 5. विशाल यादव पुत्र रघुराज यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ 6. प्रशान्त यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ की गिरफ्तारी करते हुए घटना में प्रयुक्त Toyota Urban Cruiser Hyryder वाहन संख्या-UP32-QS-7757 की बरामदगी की गयी। तथा साक्ष्य के आधार पर मुकदमा में धारा 190/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

वादी सुनील कुमार के पुत्र रवि उपरोक्त ट्रॉमा सेन्टर पीजीआई में इलाजरत है।

02-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0-36/2026 धारा-109(1)/127(2)/118(1)/352/190/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस थाना गोसाईगंज लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अजीत कुमार पुत्र बन्सीलाल निवासी ग्राम चौरासी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब-20 वर्ष
2. बृजेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरीश्चन्द्र निवासी ग्राम देईटीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब-21 वर्ष
3. रामसिंह पुत्र बच्चूलाल निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष
4. सौरभ वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष
5. विशाल यादव पुत्र रघुराज यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
6. प्रशान्त यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

04-घटना में प्रयुक्त वाहन

- कार Toyota Urban Cruiser Hyryder नं0 UP32-QS-7757

05- बृजेश कुमार उर्फ छोटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

06-रामसिंह पुत्र बच्चूलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-312/2019 धारा-323/504 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना गोसाईगंज लखनऊ
2. मु0अ0सं0- 394/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

07-सौरभ वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 166/2024 धारा 323, 325, 332, 353, 427, 504, 506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव
2. उ0नि0 ऋषभ पाण्डेय
3. उ0नि0 रजनीश यादव
4. हे0का0 जितेन्द्र सिंह यादव
5. का0 प्रदीप कुमार आर्या
6. का0 बृजेश कुमार

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अजीत कुमार पुत्र बन्सीलाल निवासी ग्राम चौरासी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब-20 वर्ष
2. बृजेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरीश्चन्द्र निवासी ग्राम देईटीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब-21 वर्ष
3. रामसिंह पुत्र बच्चूलाल निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष
4. सौरभ वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष
5. विशाल यादव पुत्र रघुराज यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
6. प्रशान्त यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

04-घटना में प्रयुक्त वाहन

- कार Toyota Urban Cruiser Hyryder नं0 UP32-QS-7757

05- बृजेश कुमार उर्फ छोटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

06-रामसिंह पुत्र बच्चूलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-312/2019 धारा-323/504 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना गोसाईगंज लखनऊ
2. मु0अ0सं0- 394/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

07-सौरभ वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 166/2024 धारा 323, 325, 332, 353, 427, 504, 506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव
2. उ0नि0 ऋषभ पाण्डेय
3. उ0नि0 रजनीश यादव
4. हे0का0 जितेन्द्र सिंह यादव
5. का0 प्रदीप कुमार आर्या
6. का0 बृजेश कुमार

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अजीत कुमार पुत्र बन्सीलाल निवासी ग्राम चौरासी थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब-20 वर्ष
2. बृजेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र हरीश्चन्द्र निवासी ग्राम देईटीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब-21 वर्ष
3. रामसिंह पुत्र बच्चूलाल निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष
4. सौरभ वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष
5. विशाल यादव पुत्र रघुराज यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
6. प्रशान्त यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

04-घटना में प्रयुक्त वाहन

- कार Toyota Urban Cruiser Hyryder नं0 UP32-QS-7757

05- बृजेश कुमार उर्फ छोटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

06-रामसिंह पुत्र बच्चूलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-312/2019 धारा-323/504 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना गोसाईगंज लखनऊ
2. मु0अ0सं0- 394/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

07-सौरभ वर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 166/2024 धारा 323, 325, 332, 353, 427, 504, 506 भादवि थाना गोसाईगंज लखनऊ

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव
2. उ0नि0 ऋषभ पाण्डेय
3. उ0नि0 रजनीश यादव
4. हे0का0 जितेन्द्र सिंह यादव
5. का0 प्रदीप कुमार आर्या
6. का0 बृजेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-172
दिनांक-28/01/2026

जोन- दक्षिणी/थाना-पी.जी.आई.

- **जान से मारने की नियत से ट्रेलर न0 UP33CT4618 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए गाडी सं0-HR26DC4348 को टक्कर मारने व भागने के प्रयास मे अन्य वाहन मे टक्कर मारने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रेलर न0 UP33CT4618 वाहन को किया गया सीज।**
- **थाना पीजीआई पुलिस टीम की सफलता ।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.01.2026 को वादी प्रदीप कुमार सिंह पुत्र स्व यशपाल सिंह निवासी–ए-1333/7 ए ब्लाक इंदिरा नगर थाना गाजीपुर लखनऊ द्वारा श्यामा मेडिकल स्टोर के पास एसजीपीजीआई थाना पीजीआई के पास ट्रेलर न0 UP33CT4618 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर पहले कार सं0-HR26DC4348 पर जोरदार टक्कर मारने व मौके पर मौजूद पब्लिक द्वारा शोर मचाने पर उक्त ट्रेलर के चालक द्वारा गाडी को बैक करते हुए भागने के प्रयास में वादी के मौसेरे भाई सूर्यप्रताप सिंह द्वारा रोके जाने पर जान से मारने की नियत से उनकी बाइक सं0-UP32QP2196 के उपर चढ़ा दिया।

पास खड़ी कार सं0- MP20ZC6173 व मोटरसाइकिल सं0 UP32FM1745 व बुलेट संख्या UP56U9849 में भी जोरदार टक्कर मार देना, जिससे मौके पर वादी के मौसेरे भाई **सूर्यप्रताप सिंह गम्भीर रुप से घायल** हो जाने तथा पास **पैदल चल रहे आयुष जायसवाल पुत्र अजय जयसवाल व अभिषेक सिंह पुत्र रामाशीष सिंह को भी गम्भीर चोटें** आने के सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0-59/2026, धारा-109(1)/281/125(a)/125(b)/324(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

घटना के पश्चात अभियुक्त वाहन को छोड़कर घटनास्थल से भाग निकला था। जिस पर थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को वृन्दावन गेट नहर जगत खेडा रोड थाना पीजीआई लखनऊ से पुलिस हिरासत में लेते हुए,अभियुक्त से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र छुन्नूलाल निवासी शिवदीन खेडा थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 33 वर्ष बताया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

02-मजरुब/घायल (3)-

1. सूर्यप्रताप सिंह पुत्र यशपाल सिंह निवासी गली न0-11 गंगा बिहार कालोनी जिला मुजफ्फरनगर हाल पता एसजीपीजीआई हास्पिटल लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष
2. आयुष जायसवाल पुत्र अजय जयसवाल निवासी सुल्तानपुर खास थाना मऊआइमा प्रयागराज उम्र करीब 21 वर्ष हाल पता एसजीपीजीआई लखनऊ
3. अभिषेक सिंह पुत्र रामाशीष सिंह निवासी राजा मंडी आगरा उम्र करीब 20 वर्ष हाल पता एसजीपीजीआई

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-059/2026,धारा-109(1)/281/125(a)/125(b)/324(4) BNS थाना पीजीआई लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

"सोशल मीडिया" पर एक दिवसीय कार्यशाला

प्रेस नोट सं.-173
दिनांक- 28.01.2026

लखनऊ पुलिस की 'Specialized Training' शाखा द्वारा पुलिस कर्मियों हेतु "सोशल मीडिया एवं प्रेस नोट" पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित।

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में, पुलिस आयुक्त लखनऊ **श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (अ0 एवं मु0) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार** एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय **श्री अनिल कुमार यादव** के मार्गदर्शन में पुलिस कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने तथा मीडिया के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु आज दिनांक 28.01.2026 को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा **पुलिस कर्मियों हेतु "सोशल मीडिया एवं प्रेस नोट" पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित** किया गया।

- पुलिस-मीडिया समन्वय और विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु लखनऊ पुलिस की 'Specialized' पाठशाला डालीगंज में हुई संपन्न।
- थानों और जोनल मीडिया सेल के कर्मियों ने सीखे प्रोफेशनल बाइट्स और कंटेंट क्रिएशन के गुर।
- सटीक सूचना और त्वरित संप्रेषण हेतु पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा 'प्रेस नोट एवं सोशल मीडिया मानकीकरण' पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित।
- पुलिस-मीडिया समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु लखनऊ कमिश्नरेट में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र संपन्न।
- थाना स्तर पर सोशल मीडिया प्रबंधन में आएगी एकरूपता, 60 पुलिसकर्मियों ने ली तकनीकी ट्रेनिंग।
- सरकारी सूचनाओं की विश्वसनीयता और पहुंच (Reach) बढ़ाने हेतु लखनऊ पुलिस की नई पहल।
- वीडियो बाइट्स से लेकर हैशटैग तक, पुलिसकर्मियों ने सीखी डिजिटल बारीकियां।

सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध एवं सुरक्षा/साइबर क्राइम) सुश्री सौम्या पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण में आयोजित प्रशिक्षण में **प्रभारी मीडिया सेल, श्री नागेंद्र उपाध्याय** द्वारा लगभग 60 प्रतिभागियों को डिजिटल मीडिया प्रबंधन की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराते हुए बताया कि "सूचनाओं के प्रभावी प्रसार हेतु प्रेस नोट को संक्षिप्त व स्पष्ट रखें तथा सोशल मीडिया कंटेंट को प्लेटफॉर्म के अनुसार कस्टमाइज़ करें। वीडियो बाइट्स में उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो-विज़ुअल का प्रयोग करें और कंटेंट की हेडलाइन को आकर्षक बनाएँ। इन सुधारों से न केवल पब्लिशिंग की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि पुलिस विभाग की सूचनाएँ आम जनमानस तक त्वरित और विश्वसनीय ढंग से पहुँच सकेंगी।"

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य

इस प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य पुलिस विभाग की सूचनाओं को आधुनिक मीडिया के अनुरूप ढालना है। इसका लक्ष्य थाना स्तर और सोशल मीडिया सेल के कर्मियों को ऐसी तकनीक सिखाना है जिससे सरकारी सूचनाएं न केवल **सटीक और पारदर्शी** हों, बल्कि उनकी **पहुंच (Reach)** और **विश्वसनीयता** भी बढ़े। यह कार्यशाला मीडिया के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और पुलिस की सकारात्मक छवि को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने पर केंद्रित है।

प्रशिक्षण के मुख्य विषय

1. **प्रेस नोट का आधुनिकीकरण:** 'इनवर्टेड पिरामिड' शैली (मुख्य खबर पहले) का उपयोग और जटिल कानूनी शब्दावली के स्थान पर सरल भाषा का प्रयोग।
2. **सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन:** प्लेटफॉर्म (Twitter/X, Facebook, Instagram) के अनुसार कंटेंट को छोटा और प्रभावशाली बनाना।
3. **प्रभावी वीडियो बाइट्स:** बाइट देते समय फ्रेमिंग, स्पष्ट आवाज (Audio Clarity), और बैकग्राउंड अनुशासन का ध्यान रखना।
4. **विजुअल स्टोरीटेलिंग:** सूचनाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली फोटो और इन्फोग्राफिक्स का संयोजन।
5. **सर्कुलेशन तकनीक:** हेडलाइन को आकर्षक बनाना और कीवर्ड्स/हैशटैग का उपयोग ताकि खबरें सर्च में ऊपर आ सकें।

प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं प्रतिभागिता:

कार्यशाला को तीन मुख्य सत्रों (ड्राफ्टिंग, डिजिटल विजुअल्स और पब्लिशिंग रणनीति) में विभाजित किया गया था। इसमें लखनऊ कमिश्नरेट की त्रि-स्तरीय मीडिया टीम ने प्रतिभाग किया:

1. सभी जोन के सोशल मीडिया सेल के विशेषज्ञ कर्मचारी।
2. प्रत्येक थाने से प्रेस नोट लेखन हेतु नामित 01-01 पुलिस कर्मी।
3. कार्यशाला में लगभग 60 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

निष्कर्ष:

कार्यशाला के समापन पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुलिस की सकारात्मक छवि हेतु **'सूचना का सही और त्वरित संप्रेषण'** अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण से थाना स्तर तक प्रेस नोट और सोशल मीडिया कंटेंट में एकरूपता एवं व्यावसायिकता (Professionalism) आएगी। 'Specialized Training' शाखा भविष्य में भी ऐसे तकनीकी सत्रों का आयोजन निरंतर करती रहेगी।

प्रशिक्षण के मुख्य विषय

1. **प्रेस नोट का आधुनिकीकरण:** 'इनवर्टेड पिरामिड' शैली (मुख्य खबर पहले) का उपयोग और जटिल कानूनी शब्दावली के स्थान पर सरल भाषा का प्रयोग।
2. **सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन:** प्लेटफॉर्म (Twitter/X, Facebook, Instagram) के अनुसार कंटेंट को छोटा और प्रभावशाली बनाना।
3. **प्रभावी वीडियो बाइट्स:** बाइट देते समय फ्रेमिंग, स्पष्ट आवाज (Audio Clarity), और बैकग्राउंड अनुशासन का ध्यान रखना।
4. **विजुअल स्टोरीटेलिंग:** सूचनाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली फोटो और इन्फोग्राफिक्स का संयोजन।
5. **सर्कुलेशन तकनीक:** हेडलाइन को आकर्षक बनाना और कीवर्ड्स/हैशटैग का उपयोग ताकि खबरें सर्च में ऊपर आ सकें।

प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं प्रतिभागिता:

कार्यशाला को तीन मुख्य सत्रों (ड्राफ्टिंग, डिजिटल विजुअल्स और पब्लिशिंग रणनीति) में विभाजित किया गया था। इसमें लखनऊ कमिश्नरेट की त्रि-स्तरीय मीडिया टीम ने प्रतिभाग किया:

1. सभी जोन के सोशल मीडिया सेल के विशेषज्ञ कर्मचारी।
2. प्रत्येक थाने से प्रेस नोट लेखन हेतु नामित 01-01 पुलिस कर्मी।
3. कार्यशाला में लगभग 60 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

निष्कर्ष:

कार्यशाला के समापन पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुलिस की सकारात्मक छवि हेतु **'सूचना का सही और त्वरित संप्रेषण'** अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण से थाना स्तर तक प्रेस नोट और सोशल मीडिया कंटेंट में एकरूपता एवं व्यावसायिकता (Professionalism) आएगी। 'Specialized Training' शाखा भविष्य में भी ऐसे तकनीकी सत्रों का आयोजन निरंतर करती रहेगी।

प्रशिक्षण के मुख्य विषय

1. **प्रेस नोट का आधुनिकीकरण:** 'इनवर्टेड पिरामिड' शैली (मुख्य खबर पहले) का उपयोग और जटिल कानूनी शब्दावली के स्थान पर सरल भाषा का प्रयोग।
2. **सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन:** प्लेटफॉर्म (Twitter/X, Facebook, Instagram) के अनुसार कंटेंट को छोटा और प्रभावशाली बनाना।
3. **प्रभावी वीडियो बाइट्स:** बाइट देते समय फ्रेमिंग, स्पष्ट आवाज (Audio Clarity), और बैकग्राउंड अनुशासन का ध्यान रखना।
4. **विजुअल स्टोरीटेलिंग:** सूचनाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली फोटो और इन्फोग्राफिक्स का संयोजन।
5. **सर्कुलेशन तकनीक:** हेडलाइन को आकर्षक बनाना और कीवर्ड्स/हैशटैग का उपयोग ताकि खबरें सर्च में ऊपर आ सकें।

प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं प्रतिभागिता:

कार्यशाला को तीन मुख्य सत्रों (ड्राफ्टिंग, डिजिटल विजुअल्स और पब्लिशिंग रणनीति) में विभाजित किया गया था। इसमें लखनऊ कमिश्नरेट की त्रि-स्तरीय मीडिया टीम ने प्रतिभाग किया:

1. सभी जोन के सोशल मीडिया सेल के विशेषज्ञ कर्मचारी।
2. प्रत्येक थाने से प्रेस नोट लेखन हेतु नामित 01-01 पुलिस कर्मी।
3. कार्यशाला में लगभग 60 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

निष्कर्ष:

कार्यशाला के समापन पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुलिस की सकारात्मक छवि हेतु **'सूचना का सही और त्वरित संप्रेषण'** अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण से थाना स्तर तक प्रेस नोट और सोशल मीडिया कंटेंट में एकरूपता एवं व्यावसायिकता (Professionalism) आएगी। 'Specialized Training' शाखा भविष्य में भी ऐसे तकनीकी सत्रों का आयोजन निरंतर करती रहेगी।

प्रशिक्षण के मुख्य विषय

1. **प्रेस नोट का आधुनिकीकरण:** 'इनवर्टेड पिरामिड' शैली (मुख्य खबर पहले) का उपयोग और जटिल कानूनी शब्दावली के स्थान पर सरल भाषा का प्रयोग।
2. **सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन:** प्लेटफॉर्म (Twitter/X, Facebook, Instagram) के अनुसार कंटेंट को छोटा और प्रभावशाली बनाना।
3. **प्रभावी वीडियो बाइट्स:** बाइट देते समय फ्रेमिंग, स्पष्ट आवाज (Audio Clarity), और बैकग्राउंड अनुशासन का ध्यान रखना।
4. **विजुअल स्टोरीटेलिंग:** सूचनाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली फोटो और इन्फोग्राफिक्स का संयोजन।
5. **सर्कुलेशन तकनीक:** हेडलाइन को आकर्षक बनाना और कीवर्ड्स/हैशटैग का उपयोग ताकि खबरें सर्च में ऊपर आ सकें।

प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं प्रतिभागिता:

कार्यशाला को तीन मुख्य सत्रों (ड्राफ्टिंग, डिजिटल विजुअल्स और पब्लिशिंग रणनीति) में विभाजित किया गया था। इसमें लखनऊ कमिश्नरेट की त्रि-स्तरीय मीडिया टीम ने प्रतिभाग किया:

1. सभी जोन के सोशल मीडिया सेल के विशेषज्ञ कर्मचारी।
2. प्रत्येक थाने से प्रेस नोट लेखन हेतु नामित 01-01 पुलिस कर्मी।
3. कार्यशाला में लगभग 60 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

निष्कर्ष:

कार्यशाला के समापन पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुलिस की सकारात्मक छवि हेतु **'सूचना का सही और त्वरित संप्रेषण'** अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण से थाना स्तर तक प्रेस नोट और सोशल मीडिया कंटेंट में एकरूपता एवं व्यावसायिकता (Professionalism) आएगी। 'Specialized Training' शाखा भविष्य में भी ऐसे तकनीकी सत्रों का आयोजन निरंतर करती रहेगी।